सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.2( )पराविं/प्रशा.1/वि.अ./संस्था./रिट/कोलायत/2017/ 1362 जयपुर,दिनांक:– 12/6/17

–: आदेश :–

विभागीय पत्र क्रमांक 4002 दिनांक 4.10.16 में ग्राम सेवकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन करने हेतु निर्देशित किया जाकर यह भी निर्देश प्रदान किये गये थे कि यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत हैं, तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे परन्तु श्री रामचन्द्र मीणा द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति कोलायत जिला बीकानेर के पद पर रहते हुये उक्त दोनों ग्राम सेवकों यथा श्री किशनलाल विश्नोई एवं श्री रामचन्द्र मेघवाल के स्थानान्तरण आदेश मा. न्यायालय के स्थगन होने के उपरान्त भी जारी कर दिये गये।

विभाग द्वारा श्री रामचन्द्र मीणा को उक्त स्थानान्तरण आदेश निरस्त करने हेतु मौखिक रूप से कई बार निर्देशित किया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेशों के क्रम में विधानसभा में भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पारित हुआ परन्तु श्री मीणा द्वारा विभागीय आदेशों की अवहेलना करते हुये उक्त दोनों कार्मिकों के स्थानान्तरण विलम्ब से दिनांक 20.2.17 को निरस्त किये जाकर मनमाने ढंग से दोनों का मुख्यालयं पंचायत समिति मुख्यालय कर दिया गया।

श्री रामचन्द्र मीणा, विकास अधिकारी पंचायत समिति कोलायत जिला बीकानेर को श्री किशनलाल विश्नोई एवं श्री रामचन्द्र मेघवाल ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव पंचायत समिति कोलायत जिला बीकानेर को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण न्यायालय के स्थगन के बावजूद स्थानान्तरित करने के कारण वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 8.6.16 के अनुरूप Lapses in duty माना जाकर विभागीय आदेश क्रमांक 925 दिनांक 24.4.2017 द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पंचायती राज विभाग, जयपुर किया गया।

श्री मीणा द्वारा उक्त विभागीय आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में रिट पिटीशन संख्या 6446/2017 दायर की गयी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28.4.2017 पारित किया जाकर निम्न निर्णय पारित किया गया:–

> **The instant writ proceedings are closed with a direction to the petitioner to address a comprehensive representation to the respondents ventilating her grievance; keeping in view the grievance of the petitioner as to ailmend of his father while makin an order on his representation.**
>
> **In case, a representation is so addressed within the aforesaid period, the State-respondents are directed to consider and decide the same by a reasoned and speaking order, in accordance with law, as expeditiously as possible; however, in no case later than four weeks from the date of receipt of the representation along with a certified copy of this order.**

उक्त न्यायालय निर्णय के क्रम में श्री रामचन्द्र मीणा द्वारा दिनांक 9.5.2017 को अपना अभ्यावेदन विभाग को प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया गया है कि मैं 28.9.2016 के स्थानान्तरण आदेश के तहत पंचायत समिति तारानगर जिला चूरू से कोलायत जिला बीकानेर पदस्थापित हुआ था एवं हाल ही मैं दिनांक 24.4.17 को मुझे कोलायत से आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय कर दिया गया है। मेरे बीकानेर पदस्थापन अवधि के दौरान ही मेरे पिताजी को ब्लड कैंसर बीमारी होने का पता चला तथा मैं बीकानेर के आचार्य तुलसी कैंसर अस्पताल में पिछले 4–5 माह से अपने पिताजी के कैंसर रोग की प्रारंभिक जांच एवं उपचार करवा रहा हूँ। मेरे पिताजी को स्टेज–3 टाईप का ब्लड कैंसर है, जिसमें समय–समय पर कीमोथैरेपी एवं रेडियोथैरेपी की आवश्यकता पडती है। मैं अपने पिताजी की बीमारी के कारण पहले से ही मानसिक तनाव से गुजर रहा था कि इसी अवधि में मुझे आदेशों की प्रतीक्षा में करने के कारण मेरे पिताजी के ईलाज में व्यवधान उत्पन्न हो गया है। इसलिये मुझे मानवीय आधार पर पुनः बीकानेर लगाने की कृपा करें ताकि मैं अपने पिताजी का इलाज अनवरत रूप से करा सकूँ।

श्री मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विवेचन एवं मनन किया गया। श्री मीणा विभागीय आदेशों की अवहेलना करने के लिये उत्तरदायी हैं, जिसके लिये इनके विरूद्ध पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

अतः श्री मीणा का पदस्थापन पुनः बीकानेर जिले में किया जाना उचित नहीं है परन्तु इनके पिताजी के ब्लड कैंसर के मध्यनजर पंचायत समिति सरवाड के समीप अजमेर व जयपुर चिकित्सा महाविद्यालय होने से श्री मीणा का पदस्थापन विकास अधिकारी पंचायत समिति सरवाड जिला अजमेर के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

(नवीन महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, अजमेर।
8. जिला कलेक्टर, अजमेर।
9. अति. / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति सरवाड।
11. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
12. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
13. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)